

# फर्द अहकाम

सुपखण्ड अधिकारी

विराटनगर (जयपुर)

विजेन्द्रसिंह

बनाम

उर्मिला कंवर कौर

संख्या / वर्ष

85/2020

प्रार्थनापत्र

/20

दिनांक आज्ञा  
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

08-7-20 यह प्रार्थनापत्र सुपखण्ड  
श्री गोपाल ठाकुर ने पेश किया।  
रिपोर्ट सीरियस की गयी। प्रकरण  
दर्ज रजिस्टर किया जाये।

वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थना-  
पत्र सुनी गयी। दलीलें उचित  
प्रतीत होती हैं। अतः अप्रार्थीगण  
को आगामी तारीख पेशी तक  
अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा  
से पाबन्द किया जाता है कि  
वे भूमि खण्ड 1947, 1951,  
1953, 2185, 2238, 2239  
0.06, 0.17, 0.25, 0.15 हेक्टर

वाले ग्राम-सूरजपुरा पट्टा जयसिंह-  
पुरा तहसील विराटनगर के मौके  
की अधारिपति बनाये रखें।  
फावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण  
दिनांक 10-9-2020 को पेश करें।

10-9-20 फावली पेश  
हुई वकील प्रार्थी सुपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

उपस्थित नहीं हुए। बार-बार आवाज लग  
वायी गयी कोई उपस्थित नहीं हुए।  
अतः प्रार्थनापत्र अदम्य हजरी अदम्य पेटली में  
शुद्ध किया जाता है। फावली के सल्लु शुद्ध  
होकर हम फिर्ता दायर रहे। नम्बर से कलकत्ते।

सुपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)